


17/8/23

पत्रावली पैसा हुई। मूल वाह अहम  
पैरवी अहम हाजिरी में खारिज  
किया जा चुका है। अतः प्रा०  
पत्र 212 RTA को आरो चराने  
का कोई औचित्य नहीं है।

अतः प्रा० पत्र 212 RTA इसी  
स्तर पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली के सब शुमार होकर  
नम्बर से कम हो बाह तकमीब  
दाखिल हफतर ही।

  
सहायक कलक्टर  
अलवर

